

Appearing on Page Nos. 1647—1663

Dated 10-11-2012

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 271.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, (समूह 'ग' और समह 'घ') भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन प्रशिक्षण निदेशालय (सिवाय महिला उपजीविका प्रशिक्षण काडर) के विभागीय कैंटीनों में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित की विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, विभागीय केंटीन (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता और उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर की विभागीय कैण्टीन पर लागू होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.--वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



. अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु,-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबन्धक	*01 (2012)उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा *कार्यभार के आधार		वेतन बैंड-1, 5200 20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.		21 वर्ष से 28 वर्ष, के बीं केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचि
	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	,		•	जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अ
7)					पिछड़े वर्गों और अन्य विशे प्रवर्ग के व्यक्तियों के लि
	·				अायु सीमा शिथिल की सकती है।
					आयु-सीमा अवधारित क के लिए निर्णायक तारीख भा
				•	में अभ्यर्थियों से ओवदन प्रा करने के लिए नियत की ग
					अंतिम तारीख होगी । (न र् वह अंतिम तारीख, जो अस
			•		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैं त्रिपुरा, सिकिक
					जम्मू-कश्मीर राज्य के लहा खंड, हिमाचल प्रदेश
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	٠	लाहौल और स्पीति जिले त चम्बा जिले
• • • .					पांगी उपखंड, अंडमान अं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
			· ·		अभ्यर्थियों के लिए विहित व गई है ।)
					
ीधे भर्ती किए जाने वाले गपेक्षित शैक्षिक और अन	व्यक्तियों के लिए य अर्हताएं	विहित आयु और	ने वाले व्यक्तियों के शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत में लागू होंगी या नहीं	· .	रिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)		(8)	·	-	(9)
क) किसी मान्यता प्राप्त बी.काम.	विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता			
विधाशाखा में स्नात	या विश्वविद्यालय से किसी क के साथ बुक कीर्पिंग वर्ष का डिप्लोमा ।				

(ख) किसी सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में भंडार या लेखा का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण: 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्तित, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (11)

प्रोन्नति :

- (i) ऐसे लिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,900 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा है।
- (ii) ऐसे हलवाई जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2,000 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा है तथा भंडार व लेखा हैंडलिंग का दो वर्ष का अनुभव और सीधे भर्ती किए गए लिपिक के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं अर्थात् इण्टरमीडिएट वाणिज्य के साथ हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

- (ii) जिनकी वेतन बैंड−1,5,200−20,200 रु; + ग्रेड वेतन 1,900 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा
- (iii) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; और
- (ख) भंडार और लेखा हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति

(W)

(11) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयू-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियन्ति व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेगा । जहां सीधी भर्ती की पद्धति नहीं है और पद केवल प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए शैक्षिक अईताएं और अनुभव भर्ती नियम में विर्निदिष्ट रूप से सम्मिलित होगें।) यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि और प्रोन्नित के लिए) लागू नहीं होता । निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक -अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामली 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है-सदस्य (1) (2) (3)(4) (5) (6) 2. हलवाई 02* (2012)उच्च साधारणं केन्द्रीय वेतन बैंड-1,5200-आयु 18 और 25 वर्ष के बीच प्रशिक्षण संस्थान. सेवा, समूह 'ग', 20200 रु. + ग्रेड केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-लुधियाना-1 अराजपत्रित, वेतन 2,000 रु. समय पर जारी किए गए उच्च प्रशिक्षण अननुसचिवीय आदेशों के अनुसार अनुसूचित संस्थान, हावडा-1 जातियों, अनुसूचित जन-*कार्यभार के आधार जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पर परिवर्तन किया जा पिछडे वर्गों और अन्य विशेष सकता है। प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

> टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ वह अंतिम

5

(6)

तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

- (क) दसवी कक्षा उत्तीर्ण और साथ में खानपान में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा आदि
- (ख) अनुभव: एक वर्ष
- (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए खाना बनाना जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि है, के लिए व्यवसाय कुशलता परीक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा ।

दिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यधियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यधियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।

-

(10)

(11)

प्रोन्नति, द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्तिः

- (i) ऐसे केंट्रीन परिचर जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. +ग्रेड वेतन 1800 रु. + 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष की अर्हक सेवा है।
- (ii) विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा संचालित एक व्यवसाय कुशलता परीक्षण खाना बनाना जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि है के संदर्भ में होगा।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

- (ii) ऐसे कैंटीन परिचर जो वेतन बैंड-1,5200-20,200 रु; + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा, एक वर्ष हलवाई के हैल्पर का अनुभव के साथ हो:
- (iii) जिनके पास खान-पान प्रबंध में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा है ।

(11)

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति व्यक्ति सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेगा । जहां सीधी भर्ती की पद्धित नहीं है और पद केवल प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव भर्ती नियम में विनिदिष्ट रूप से सम्मिलित होगें ।)

(12)

(13)

पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता ।

- 1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक-अध्यक्ष
- रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से संबंधित है—सदस्य
- 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से है—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	06* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। यूनिट-वार विवरण संस्था पद	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5,200 20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,900 रु.	- अचयन	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों,
	संख्या उच्च 1+1= प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई उच्च 1=1	2			भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

(6)

प्रशिक्षण संस्थान. लुधियाना उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हावडा उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर

टिप्पण: आयु-सीमा अव-धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्यख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिलें के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

(क) वाणिज्य के साथ कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य ।

(ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट के (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत् पर 10500 प्रति घंटा/9000 की डिप्रैशन के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) ।

टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं : कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।

प्रोन्नति व्यक्ति के लिए कुछ नहीं ।

(10)

· (11)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नित: ऐसे कैंटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,800 रु. में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा की है।

आईएसटीएम या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से संगठन व्यवहार, संपर्क कौशल और लेखा व्यवहार दो सप्ताह का प्रशिक्षण लिपिक पद पर प्रोन्नित के लिए आवश्यक है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—

- (i) जो नियमित आधार पर संदूश पद धारण किए हुए हैं;
- (ii) ऐसे केंटीन परिचर जो वेतन बेंड-1,5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित अहताएं रखते हैं।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति व्यक्ति सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेगा । जहां सीधी भर्ती की पद्धति नहीं है और पद केवल प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव भर्ती नियम में विनिदिष्ट रूप से सम्मिलित होंगे।)

(12)

(13)

पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति के जो निम्निलिखत से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता ।

- 1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक-अध्यक्ष
- यूनिट में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय से कोई ऐसा, कोई समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से हो—सदस्य
- 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का ऐसा समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है–सदस्य

	1				·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कैंटीन परिचर	16* (2012)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1, 5200-	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष,
	*कार्यभार के आधार		20200 रु. + ग्रेड		केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-
	पर परिवर्तन किया जा	अराजपत्रित,	वेतन 1800 रु.		समय पर जारी किए गए
	सकता है।	अननुसचिवीय	` .		आदेशों के अनुसार अनुसूचित
•	यूनिटवार विवरण				जातियों या अनुसूचित जन-
	संस्था पद				जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य
	संख्या				पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष
	उच्च 1.+3+1=	= 5		•	प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए
	प्रशिक्षण		•		आयु सीमा शिथिल की ज
	संस्थान, मुंबई				सकती है।
	उच्च 1+1+1=	= 3			टिप्पण: आयु-सीमा अव-
	प्रशिक्षण		•		धारित करने के लिए निर्णायक
	संस्थान,	•	•		तारीख वह अंतिम तारीख
	लुधियाना 🐪	-	•		होगी जिस तक रोगजा
	उच्चे 1 + 2 = 3				कार्यालयों से नाम भेजने के
, .	प्रशिक्षण				कहा गया है।
· .	संस्थान, कानपुर				
	डच्च 1+3+1 =	5		•	•
	प्रशिक्षण				
	संस्थान, हावडा				
7					,
		4.			r es e
(7)		(8)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(9)
मैट्रीकुलेशन या समतुल्य	11	लागू नहीं होता ।	,		दो वर्ष ।
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(10)	1 N N		(11)		
सीधी भर्ती द्वारा ।			लागू नहीं होता	l	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 		
	-			•	

(12)

(13)

पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नित समिति जो लागू नहीं होता । निम्निलिखित से मिलकर बैनेगी :

- 1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक-अध्यक्ष
- 2. यूनिट में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय से कोई ऐसा कोई समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से हो—सदस्य
- केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का ऐसा समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है—सदस्य

[फा. सं. डीजीईटी-ए-12018/04/2011-टीए-II] एन. श्रीकुमार, अवर सचिव

0

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2012

- G.S.R. 271.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the erstwhile Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such suppressions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Department Centeens in the Training Directorate (except Women Occupation Training cadre) under the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, namely:—
- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Departmental Canteens (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall be applicable to the Departmental Canteen of Advance Training Institute, Mumbai; Advance Training Institute, Ludhiana; Advance Training Institute, Kolkata and Advance Training Institute, Kanpur.
- 2. Number of posts, Classification and Scale of Pay.—The number of the posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedules annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters concerned thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—

- (a) no person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to any to the said posts:

Provided that the Central Govt. may, if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this respect.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Manager	*01 (2012) Advanced Training Institute, Howrah *Subject to variation dependent on work- load	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	PB-1, Rs. 5,200- 20,200 + Grade Pay Rs. 2,400	Non-selection

Age limit for direct recruits		Educational and other recruits	er qualifications required for direct
(6)		` .	(7)
21—28 years, relaxable of age limit to be persons belonging to the Scheduled Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Classes and other special categories of accordance with the orders issued by Government from time to time. The crucial date for determining shall be the closing date for receipt of from candidates in India (and not the prescribed for those in Assam, Mizora Nagaland, Meghalaya, Arunachal Prades Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Kashmir State Lahaul and Spiti Districts Sub Division of Chamba District of Hima Andaman and Nicobar Islands or Laksha	Castes, the Backward persons in the Central the age limit applications closing date m, Manipur, sh, Nagaland, Jammu and and Pangu chal Pradesh,	with one year Diplor (b) Experience.—I or Government Accounts. Note 1.—Qualificati competent authority qualified. Note 2.—The qualifi able at the discretion of candidates belon Scheduled Tribes, if tent authority is of t candidates belongir the requisite experi	cognised University. Or scipline from a recognised university in a in Book Keeping or Store Keeping. Three Years in a Government Department Undertaking in handling Stores of the case of candidate otherwise we ications regarding experience are relax in of the competent authority in the case in in the Scheduled Castes or the competent authority in the case in the scheduled Castes or the competent authority in the case in the scheduled Castes or the competent authority in the case in the opinion that sufficient number of the opinion that sufficient number of the competent authority in the competent authority in the case in the opinion that sufficient number of the opinion
		fill up the vacancies	s reserved for them.
qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	(9)	fil	on and percentage of vacancies to be led by various methods (10)
Not applicable	Two years for D		omotion failing which by deputation defailing both by direct recruitment
In case of recruitment by promotion/ deputation, grades from which pro- motion/deputation to be made	If a Department exists, what is i	al Promotion Committed ts composition	e Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit ment
(11)	(1	12)	(13)
Promotion: (i) Clerks with at least eight years regular service in the PB-1, Rs. 5200—20,200 + Grade Pay Rs. 1900 (ii) Halwai with five years regular service in the PB-1, Rs. 5200—20,200 + Grade pay Rs. 2000 with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing education	Committee (for promotion) conton. 1. Senior most Unit 2. A Group 'A' office of the ral of Employing the unit doment matter.	Director in the — Char Officer from any Directorate Gene- syment and Training dealing with establish-	Not applicable airman



(11)

Deputation:

Officers of the Central Government:

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) With at least eight years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay of Rs. 1900 and
- (iii) Possessing educational qualification as prescribed for Direct Recruit under Column 7; and
- (b) Three years experience in handling Stores or Accounts.

Note 1.—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2.—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).

			1	
(1) 2 Halwai	(2)	(3)	(4)	(5)
Z Flalwai	02* (2012) Advance Training Institute, Ludhiana-1 Advance Training Institute, Howrah-1	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial	PB-1, Rs. 5,200- 20,200 + Grade Pay Rs. 2,000/-	Selection
	*Subject to variation depending on work-load.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

18-25 years, relaxable of age limit to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(7)

- (a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering,
- (b) Experience.—One year.
- (c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene, etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.

Note .—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Not applicable

(8)		(9)				-: .	(10)		
No		Two years	for Direct Recruitr	nent	Promotion	failing	which	by	deputation
/	· i			-		ا جوران د		:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(11)			(12)			(13)		-	

Promotion:

Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 #: Grade Pay of 1800 + 1900 with atleast three years qualifying service.

A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene, etc.

Deputation:

Officers of the Central Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) Canteen Attendent in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20,200 + Grade Pay of Rs. 1800 with atleast three years regular service having one. year experience as helper to Halwai; (iii) Possessing certificate or diploma in catering.

Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Group 'C' Departmental Promotion Committee to consider confirmation, consisting of :-

1. Senior most Director in the

Unit Chairman 2. A Group 'A' Officer from any

office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters. Member

3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member

4298 Lab. & Bort./12-4

(W)

(11)

The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2.—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).

,(1)		· ·	(2)		(3)	(4)	(5)
3 Clerk			06* (2012) *Subject to v depending or load.	variation n work-	General Central Services, (Group 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial	PB-1, Rs. 5200- 20,200 + Grade Pay Rs. 1900	Non-Selection
	٠,		Unit wise bre Institute N	eak up Number of		,	
				oost +1=2			,
			Advance 1 Training Institute, Ludhiana	=1			
8	. •		Advance 1 Training Institute, Howrah	+1=2			
		·	Advance 1 Training Institute, Kanpur	=1			

(6)

(7)

18—25 years, relaxable of age limit to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce.

(b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 Key depressions for each word).

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.

Note 2.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possession the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)		. (9)	•	, .		(10)
Age: No Educational Qualifications— 12th Class Pass or equivalent		Two years for direct recruits, Nil for promotees		cruits,	50% by promotion failing which by deputation 50% by Direct Recruitment	
- 1		- : :		·	50% by Dire	ct Recruitment
						· ¢454
(11)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(12)			. diam (13)

Promotion:

Canteen Attendant with atleast three years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade pay Rs. 1800/-

A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other recognised Institute. **Deputation:**

Officers of the Central Government:

- (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) Canteen Attendant with at least three years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 + Grade pay of Rs. 1800/- and possessing the following qualifications for direct recruits under Column 7.

Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately

Group 'C' Departmental Promotion Committee to consider confirmation, consisting of:—

Senior most Director in the
 Unit — Chairman

- A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters.
- A Group 'A' Officer of another Central Government Office dealing with establishment matters. — Member

Not applicable

(11)

preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2.—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A. Canteen Attendant	16* (2012). *Subject to var depending on w load.		General Central Services, (Group 'C') Non-Gazetted, Non- Ministerial.	PB-1, Rs. 5200- 20,200 + Grade Pay Rs. 1800	Not Applicable
		nber of			
	Advance 1+ Training Institute, Mumbai	3 + 1 = 5			
	Advance 1+ Training Institute, Ludhiana	1 + 1 = 3			
	Advance 1+ Training Institute, Kanpur	2=3			
	Advance 1+ Training Institute,	3 + 1 = 5		-	

Howrah

تستعملن		4	1
	1	7	
		عد	Ì

(6)		Ø
persons belonging Scheduled Tribes, E Classes and other sp accordance with the Government from tim Note: The crucial design of the crucial design.	ate for determining the age li upto which the Employment	he ard in ral
-		
(8)	((10)
Not applicable	Two y	ears Direct Recruitment
(11)		(12) (13)
Not applicable	Committe consisting	'Departmental Promotion Not applicable ee to consider confirmation, eg of :— most Director in the
	Unit	— Chairman
	office ral of in the	up 'A' Officer from any of the Directorate Gene- Employment and Training unit dealing with establish- natters. — Member
	Centr	up 'A' Officer of another al Government Office dealing stablishment matters. — Member

[F. No. DGET-A-12018/04/2011-TA-II]
N. SREEKUMAR, Under Secy.

DRIVER G17-I 12/4/2013

PART II SEC 3 SUBSEC (1)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1301—1311

Dated 21-9-2013

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) अधिसुचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 229.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह 'ग' महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय ड्राईवर कॉडर पर भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उसका संबंध ड्राईवर समूह 'ग' गैर तकनीकी पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में ड्राईवर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह 'ग' (महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय), ड्राईवर कॉडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.--ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
 उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		•	अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ड्राईवर श्रेणी-I	12* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(1)



सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधी भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो शैक्षिक और अन्य अर्हताएं व्यक्तियों के लिए विहित आय और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं (7)(8) (9) लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)(11)

प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्ति :

- (i) ऐसे ड्राईवर श्रेणी-2 जिन्होंने यथाविनिर्दिष्ट चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ii) व्यावसायिक परीक्षण :
 - अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने के योग्य हो ।
 - (ii) यातायात विनियमों का ज्ञान हो ।
 - (iii) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्य का अच्छा ज्ञान हो और त्रुटियों का पता लगाने तथा लघु त्रुटियों को सुधारने के योग्य
 - (iv) कार्बोरेटर, प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो ।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :--

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

(ii) जिन्होंने यथाविनिर्दिष्ट चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए ड्राईवर श्रेणी-2 का पद धारण करते हुए वेतन बैंड 5200--20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



——————————————————————————————————————	ति समिति है तो उसकी	संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थि आयोग से परामर्श किया जा	
	(12)			(13)	······································
प्रोनति के संबंध	में विचार करने के	लिए समूह 'ग' विभा	गीय	लागू नहीं होता	ı
प्रोन्ति समिति जो	निम्नलिखित से मिल	कर बनेगी :—		. "	
1. शिक्षुता प्रशिक्ष	ाण निदेशक		—अध्यक्ष		
2. उप सचिव, रे	जिगार और प्रशिक्षण म	हानिदेशालयं	—सदस्य		
3. निदेशक/उप र	प्तचिव (प्रशासन), श्रम	और रोजगार मंत्रालय	सदस्य		
4. अ़वर सचिव,	रोजगार और प्रशिक्षण	महानिदेशालय	—सदस्य		
	·				,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ड्राईवर	11* (2013)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1,	अचयन	लागू नहीं होता
श्रेणी–II	*कार्यभार के	सेवा, समूह "ग",	52002020	00 रु.	
	आधार पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	+ ग्रेड वेतन 2400 रु.		
	ं जा सकता है ।	ું પાંતુલા,વવાવ 	; 2 1 00 (.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(7)	····	(8)	(9)	
·	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(
~			,	·	
ر					
(10)		4		(11)	
प्रोन्नति द्वारा जिसके	न हो सकने पर प्रतिनि	ायुक्ति द्वारा	प्रोन्तिः		
•		• ,	(i) ऐसे ड्राईवर सा की हो;	धारण श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी	में नौ वर्ष नियमित सेव
	•			2 0 0	
	•	• •	(ii) यथाविनिर्दिष्ट	व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण क	रते हुए :
		٠,		व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण क ो के अंकों और अक्षरों को प ढ्	
			(i) अंग्रेज		
		· ,	(i) अंग्रेज (ii) याताय	ो के अंकों और अक्षरों को पढ़	ने के योग्य हो ।
			(i) अंग्रेज (ii) याताय (iii) कमिर हो ।	ो के अंकों और अक्षरों को पढ़	ने के योग्य हो । टेयों को सुधारने के योग्
			(i) अंग्रेज (ii) याताय (iii) कमिय हो । (iv) पहिय योग्य	ो के अंकों और अक्षरों को पढ़	ने के योग्य हो । टेयों को सुधारने के योग्
			(i) अंग्रेज (ii) याताय (iii) कमिय हो। (iv) पहिस्स योग्य प्रतिनियुक्ति:	ो के अंकों और अक्षरों को पढ़	ने के योग्य हो । टेयों को सुधारने के योग्
			(i) अंग्रेज (ii) याताय (iii) कमिय हो। (iv) पहिय योग्य प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार के अ	ो के अंकों और अक्षरों को पढ़	ने के योग्य हो । टेयों को सुधारने के योग्ग ग्रीक–ठीक हवा भरने व

(8)

(11)

- (ii) जिन्होंने ड्राईवर साधारण श्रेणी का पद धारण करते हुए वेतन बैंड-1 : 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (iii) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)(13)पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय लागू नहीं होता। प्रोन्ति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशक अध्यक्ष 2. उप सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय -सदस्य निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय —सदस्य अवर सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —सदस्य (1). (2) (3)(4) (5) (6)3. ड्राईवर 11* (2013) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-1: लागू नहीं होता 21 से 27 वर्ष (साधारण *कार्यभार के सेवा, समूह "ग" 5200--20200 ₹. (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी श्रेणी) आधार पर अंराजपंत्रित, + ग्रेड वेतन किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार परिवर्तन किया अननुसचिवीय 1900 रु. सरकारी सेवकों के लिए शिथिल जा सकता है। करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार

۲,

द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए

टिप्पण 2 : रोजगार कोर्यालयों के माध्यम

विहित की गई है)।

		(6)	<u> </u>
		से की जाने वाली वि आयु-सीमा अवधा निर्णायक तारीख वह जिस तक रोजगार का के लिए कहा गया है	रेत करने के लि अंतिम तारीख होग र्यालयों से नाम भेज
(7)	(8)	(9)	
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।			. · ·
 हल्के, मध्यम और भारी मोटर यानों के लिए चालन अनुज्ञप्ति हो । 			
 मोटर मैकेनिक के कार्य का ज्ञान हो । 	,		
।. मोटर कार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो ।			•
 चालन और यांत्रिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो । 		***	
टेप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता के विवेकानुसार अनुसूचित गतियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी की दशा में जिस्सीयल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम जिस्सीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित			
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले			
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध डोने की संभावना नहीं है ।			
<u> </u>	· ·		.
(10)		(11)	-i
तीधी भर्ती यदि अल्पकाल के लिए रिक्ति को भरे जाने के लए असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	ल	ागू नहीं होता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		.*	•
(12)		(13)	
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभा प्रोनित समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	गीय	लागू नहीं होता । "	
i. यूनिट में ज्येष्ठतम निदेशक	—अध्यक्ष		
 स्थापन के मामले में यूनिट में रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से एक समृह 'क' अधिकारी 	— सदस्य		
 केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी 	—सदस्य		
	[सं. डी.जी.ई. एण्ड टी.ए12018/	01/2011-टीए-II]
4013 LRE/13-2	•	एन. श्री	कुमार, अवर सचिव

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2013

- GS.R. 229 .—In exercise of the powers, conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Employment and Training Group 'C' (except Women Occupational Training) (Driver Cadre posts) Recruitment Rules, 2004, in so far they relate to the posts of Drivers & Group 'C'. Non-Technical Posts in the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Drivers, in the Ministry of Labour and Employment, in the Directorate General of Employment and Training, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Ministry of Labour and Employment, the Directorate General of Employment and Training Group 'C' (except Women Occupational Training) (Driver Cadre) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These Rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No persons —
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		· - ¦	SCHEDULE			
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	· .
Driver Grade-I	12*(2013) *Subject to variation	General Central Service, Group 'C', Non-	Pay band-1, Rs. 5200- 20200 plus	Non- selection	Not applicable	-
;	dependent on workload.	Gazetted, Non- Ministerial	grade pay Rs. 2800			

	(7)	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Period of probation, if an
	case of promotees	
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by prom grade from which promotion/d made	otion/deputation/absorption eputation/absorption to be
(10)	(11)	
Promotion failing which by Deputation	Promotion:	
,	Driver Grade-II with six years subject to passing driving test Trade Test:	of regular service in the grade as specified:
	(i) Must be able to read English	, Numerical and figures.
	(ii) Must have thorough knowle	
	(iii) Must have good knowledg working and be able to locate for defects.	e of Petrol and Diesel Engine aults and rectify minor running
	(iv) Must be able to clean carbu Deputation:	rettor, plug, etc.
	From officers under the Central	Government.
	(i) holding analogous post on	
	(ii) holding the post of Driver G service in the pay band Rs. 5200- subject to driving test	rade-II with six years of regular 20200 with grade pay Rs. 2400;
	Note 1: The period of deput deputation in another ex-cadre per this appointment in the same of Department of the Central Governthree years.	ost held immediately preceding r some other Organisation or
	Note 2: The maximum age limit shall not exceed 56 years as on applications.	for appointment on deputation the closing date of receipt of
fa Departmental Promotion Committee exist, what is its omposition		in which Union Public Service to be consulted in making
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for conside	·	ot applicable.
oromotion, consisting of :—		• 1
* * * •	Chairman	,
 Deputy Secretary, Directorate General of Employment and Training 	-Member	
• •	-Member	
4. Under Secretary, Directorate General of	-Member	

4013 L&E/13-3



		*1				
Ø,	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	·
Driver	11*(2013)	General Central	Pay Band-1,	Non-	Not applicable	
Grade-II	*Subject to	Service, Group	Rs. 5200-	selection		.*
	variation	'C', Non-	20,200 plus		•	
, `	dependent	Gazetted, Non-	grade pay		÷.	
,	on workload.	Ministerial	Rs. 2400			
<u> </u>	·		,			:
(7)		· . (8)	(9)	
Not ap	plicable		Not app	olicable	Not applicab	le
		<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••		·
	(10)			(11).		, , , , , , ,
omotion fai	ling which by deput	ation	Promotion :			,.
	•		(i) Driver O	rdinary Grade w	ith nine years of regul	ar service
			the grade,	•	•	•
	•			ng trade test as s		
		1			nerical and figures,	
۲				ge of Traffic Ru		
•••			(iii) able to	locate faults and	d carry out minor runr	ning repai
• •				change wheels a	nd correctly inflate tyr	•ec
	•		Deputation		ma corroomy minute tyr	
•			-	ler the Central G	overnment ·	
	•	•		•	on regular basis; or	
	•				r Ordinary Grade with 1	nine vears
٠,		!	regular serv	ice in the Pay Ba	ind Rs. 5200-20200 wi	th grade p
.· ·		. [Rs. 1900; ar	id		
			(iii) to pasș	Trade Test.		
١	Market State of the Control of the C		Note 1: Th	e period of de	putation including th	e period
			deputation i	n another ex-cad	re post held immediate	ly precedi
•	. •		Denartment	ment in the san	ne or some other Org vernment shall ordinaril	anisation
			three years.		vermment snan ordinarn	ly not exce
			•		imit for appointment or	n denutatio
	<i>t</i>		shall 'Not ex	ceed 56 years' a	as on the closing date	of receipt
			applications	3.		
· · ·		i				
			i			
	(12)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(13)	
roup 'C' Der		n Committee for con	sidering			
roup'C' Dep		on Committee for con	sidering		(13) Not applicable.	······································
romotion, co	partmental Promotionsisting of :— r of Apprenticeship	Training	sidering —Chairman			
romotion, co 1. Director 2. Deputy	partmental Promotionsisting of: r of Apprenticeship 'Secretary, Directora	Training				
1. Director 2. Deputy Employ	partmental Promotion on sisting of:— r of Apprenticeship of Secretary, Directoral ment and Training	Training te General of				
1. Director 2. Deputy Employ 3. Director	partmental Promotion posisting of:— r of Apprenticeship 'Secretary, Directoral ment and Training r/Deputy Secretary (Training te General of Administration),	—Chairman			
1. Director 2. Deputy Employ 3. Director Ministry	partmental Promotion on sisting of:— r of Apprenticeship of Secretary, Directoral ment and Training of Deputy Secretary (y of Labour and Emp	Training te General of Administration),	—Chairman —Member			
1. Director 2. Deputy Employ 3. Director Ministry 4. Under S	partmental Promotion posisting of:— r of Apprenticeship 'Secretary, Directoral ment and Training r/Deputy Secretary (Training te General of Administration),	—Chairman —Member			

			(9)		
(S)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Driver (Ordinary Grade)	11*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus grade pay Rs. 1900	Not- applicable	21 to 27 years, (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates
					belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep). Note 2: In respect of post, the appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the

(7)	(8)	(9)
Essential:	Not applicable	Two years
Matriculation or equivalent from a recognised Board or University;		
Driving licence of light medium and heavy motor vehicles;	,	
3. Knowledge of Motor Mechanic;	,	
4. Three year's experience of driving;		
5. Passing a driving and Mechanical test.	`	
Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case		
of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection the		
Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities	·	
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

 $\left(\hat{\gamma}\right)$

(10)	·	(11)
Direct recruitment, if failed to fill up vacancy for sh deputation.	ort-term by	Not applicable
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for c	onsidering	Not applicable.
Confirmation, consisting of :—		rvot applicable.
1. Senior most Director in the Unit	—Chairman	
2. A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and	Onuminari	
Training in the Unit dealing with Establishme Matters	nt —Member	
3. A Group 'A' Officer from other Central Government Office	—Member	

[No. DGE & TA-12018/01/2011-TA-II]
N. SREEKUMAR, Under Secy.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1722—1741

Dated 26-11-2005

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(रोगजार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2005

सा.का.नि. 405.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिला वृत्तिक प्रशिक्षण को छोड़कर), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह ग अतकनीकी पद) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया है, श्रम मंत्रालय के अधीन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में अवर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट, उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया/सहायक छात्रावास अधीक्षक/लेखापाल/आंतरिक लेखापरीक्षक/छात्रावास अधीक्षक/केयरटेकर/क्रय सहायक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, सहायक, गैस्टेटनर प्रचालक और भेषजज्ञ समूह ग अतकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (महिला वृत्तिक प्रशिक्षण को छोड़कर), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह ग अतकनीकी पद) पद भर्ती नियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. ये नियम निम्नलिखित इकाईयों पर इकाईवार लागू होंगे :--
 - (i) चेन्नई इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई, प्रादेशिक प्रशिक्ष प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट समाविष्ट हैं।
 - (ii) हैदराबाद इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद और इलैक्ट्रानिक और प्रसंस्करण उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद समाविष्ट हैं।
 - (iii) बंगलौर इकाई जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर और एपैक्स हाई टैक संस्थान, बंगलौर समाविष्ट हैं।
 - (iv) मुंबई इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई और प्रादेशिक प्रशिक्ष प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई समाविष्ट हैं;
 - (v) लुधियाना इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी समाविष्ट हैं;
 - (vi) कानपुर इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर समाविष्ट हैं;
 - (vii) देहरादून इकाई जिसमें इलैक्ट्रानिक और प्रसंस्करण उपकरण के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून समाविष्ट है;
 - (viii) जमशेदपुर इकाई जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर समाविष्ट है; और
 - (ix) कोलकाता इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, प्रादेशिक प्रशिक्ष प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौदवाद (उड़ीसा) समाविष्ट हैं;
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

3434 L& E/2005

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूर्च	ो		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ं ब्रेतनमान	चयन या अचयन पद	•	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुई है या नहीं
1	2	3	4	5		6
1. अवर श्रेणी लिपिक/ टाइपिस्ट	126* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इकाईवार विभाजन हैदराबाद-17 लुधियाना-15 मुम्बई-16 कानपुर-17 चेन्नई-23 कोलकाता-28 बंगलौर-06 जमशेदपुर-02 देहरादून-02	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	अचयन		लागू नहीं होता
भीधे भर्ती किए व्यंक्तियों के ति	तए आयु सीमा के	धे भर्ती किए जाने वाले लिए अपेक्षित शैक्षि य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने य के लिए विहित आयु अहंताएं, प्रोन्नत व्यक्ति में लागू होंगी या नहीं	और इं	शैक्षिक यदि कोई हो
7		8	····	9		10
द्वारा जारी किए अनुसार सरक लिए 35 वर्ष र जा सकती है। टिप्पण: आर् करने के लिए	र गए आदेशों के गरी सेवकों के कि शिथिल की . 2	. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैर्डि इसके समतुल्य अर्हत . टंकण गति अंग्रेजी प्रति मिनट या हिन्दी प्रति मिनट।	ट्रेकुलेशन या 1। में 30 शब्द	आयु : नहीं अर्हता : हां		दो वर्ष

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

- (क) 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (ख) 5 प्रतिशत विभागीय अईक परीक्षा के आधार पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से प्रोन्नित द्वारा, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अईता हो और जो स्तंभ 12 में यथा उपबंधित अपेक्षा पूरी करते हों। परीक्षा का पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)।

टिप्पण : (i) किसी विशिष्ट वर्ष से संबंधित खाली रिक्तियां अग्रनीत नहीं की जाएंगी।

- (ii) यदि उक्त परीक्षा में खंड (ख) के अधीन उपलभ्य रिक्तियों से अधिक कर्मचारी अर्हित होते हैं तो ऐसे आधिक्य कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्ष में उद्भूत दिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्वतम परीक्षा में अर्हक कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाएगा जो पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हित हुए हैं।
- (ग) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता हो और जो स्तंभ 12 में यथाविहित अपेक्षाओं को पूरी करते हों।

प्रोन्नित: 2750-4000 रु. के वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने उस इकाई में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न होने पर 2610-3540 रु. के वेतनमान में ऐसे समूह ''घ' कर्मचारियों से जिन्होंने उस इकाई में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और दोनों के न हो सकने पर 2550-3200 रु. वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से जिन्होंने उस इकाई में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय !	प्रोन्नति समिति है, तो उ	सकी संरचना	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
	13			14		·	
समूह 'ग'विभ	गिय प्रोन्नति समिति	जिसमें निम्नलिखित	होंगें :	लागू नई	ों होता।		
1. इकाई का	ज्येष्ठतम निदेशक		—अध्यक्ष			•	
2. रोजगार औ	र प्रशिक्षण महानिदेशाल	तय के किसी कार्याल	य —सदस्य				
के स्थापना	संबंधी मामलों से संबं	थित इकाई का एक स	मूह				
'क' अधि		•	•		•	• *	
3. केन्द्रीय सर	कार के किसी अन्य का	र्यालय से एक समूह	सदस्य			. •	
'ক' अधिव		•	•		·		
-						* ********	
1	2	3	4	5	6		
2. उच्च श्रेणी	94* (2005)	साधारण केन्द्रीय	4000-100-	अचयन	लागू नहीं होता		
लिपिक/	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग'	6000 ₹.			·	
रोकड़िया/	आधार पर	अराजपत्रित,				•	
सहायक	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय	•				
छात्रावास	जा सकता है।		•				
अधीक्षक	इकाईवार विभाजन						
(ये पद	हैदराबाद-15 .						
अंत:	लुधियाना-13		·				

					•	•
1	2	,	•			
परिवर्तनीय	मुंबई-12					
होंगे)	कानपुर-11	.				
	चेन्नई-13				•	
	कोलकाता-20					
	बंगलौर-06	j				
	जमशेदपुर-01	, ;				
	देहरादून-03				•	
	कुल - 94	į				
7		8		9	10	
्लागू नहीं हो	ाता ला	गू नहीं होता		तागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
1	<u> </u>					
	·	00.0	··		12 .	
प्रान्नात द्वारा जि	सके न हो सकने पर	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नतिः ऐ नियमित सेव	से अवर श्रेणी लि ग की हो।	पेक/टाइपिस्ट, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ	वर्ष
		•	प्रतिनियुक्ति	7 :	•	
				 नार के ऐसे अधिव	· 12 1—	
		į			गरा—् र सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	
		,	(४) स्त्रीः -(सः) स्त्रीः	ापाया आपार प क्रम केल ी दिल्ल	र तपुरा पद वारण किए हुए हु; या	<u></u> _
	•	1	(I) (II)	नपर त्रणा ।लापक में आठ वर्ष निर्या	का पद धारण किए हुए हैं और जिन्हों	न उस
·						
			15 HOLE	विका प्रवर्ग के एस	विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी	पंक्ति
		,	म ह, प्रातान	थुक्ति पर नियुक्ति 	के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे	। इसी
			प्रकार प्राताः	ायुक्त व्याक्त प्रान्	ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए र	गाने के
			पात्र नहा हा	ग। (प्रातानयुक्ति ^	की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरव	नार के
			उसा या कर	ता अन्य सगठन/वि —————	भाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	किसी
			अन्य काडर 	बाह्य पद पर प्रति	नियुक्ति की अविधि है साधारणतया तीन	वर्ष से
			अधिक नहीं	हागा)।		
• .	13					
ममर 'गा' विश्व					14	
तपूर गायमा 1 ह्यार्टकात	ागाय प्रान्तात सामा त्येष्ठतम निदेशक	ते जिसमें निम्नलिखित		•	लागू नहीं होता।	
ाः इत्याद्य स्था प	पण्डतम् । गदशकः सम्बद्धाः		—अध्यक्ष			•
2. राजनार जान के उभाजा	८ प्राशक्षण महानिद्श राज्यम्	गलय के किसी कार्यालय -'C	य —सेदस्य	•	•	
.'क' अधिक •	सषया मामला स [्] स	बंधित इकाई का एक स	파르 ^			
э. पा'प्राच सर्प 'क' अधिक	कार कः ।कसा अन्य व 	कार्यालय से एक समूह	—सदस्य			
ক সাধক					•	
1	2			·-·		
वेखाकार		3	4	5	6	,
अंतरिक अंतरिक	28* (2005) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय	4500-125-	अचयन	लागू नहीं होता	
ञातारक लेखा परीक्षक		सेवा, समूह 'ग'	7000 रु.			
लखा यवका केयरटेकार/	्ञाबार पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित,		•	,	
कप ्ट कार छात्रावास	पारवतन किया जा सकता है।	अनुसचिवीय				•
अधीक्षक/	का सकता है। इकाईवार विभाजन	i }	_			
. 11 31 10	424441144101	•				

Z.

11	2			,		
क्रय	लुधियाना-02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•
सहायक	हैदराबाद-06				٠	•
(ये सभी	मुंबई-02					
पद अंत:	कानपुर-03					
परिवर्तनीय	चेन्नई-05	•	•			
होंगे)	कोलकाता-05					
GIAL)	बंगलौर-03				•	
	देहरादून-02					
	कुल - 28					
		· ·				
7		8	•	9	10	
लागू नहीं होता	<u>.</u> ल	गू नहीं होता		लागू नहीं होता	ं लागू	नहीं होता
						· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•					12	
प्रान्तात द्वारा जिस्	ाक न ह्या सकन पर	: प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	जिन्होंने ऊ सेवा की हे प्रतिनियुवि	पर उल्लिखित किर्स ो;	क/रोकड़िया/सहायक ह ो एक या अधिक पदों प	ग्रत्रावास अधीक्षक र पाँच वर्ष नियमित
	•		(i) जो (ii) जो जिन लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति पात्र नहीं ह उसी या कि	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर गेषक प्रवर्ग के ऐसे नियुक्ति वे नियुक्त व्यक्ति ग्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ति	री— र सदृश पद धारण किए ह या समतुल्य पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संव वभागीय अधिकारी, जो ह ह लिए विचार किए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए की अवधि जिसके अंत भाग में इस नियुक्ति से टेन्युक्ति की अवधि है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
	•		(i) जो (ii) जो जिन लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रतिनि पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर गेषक प्रवर्ग के ऐसे ि नेयुक्ति पर नियुक्ति वे नियुक्त व्यक्ति ग्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रति होंगी)।	सदृश पद धारण किए ह या समतुल्य पद ध च वर्ष नियमित सेवा कं टेकर/छात्रावास/क्रय संव वेभागीय अधिकारी, जो ह लिए विचार किए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए की अविध जिसके अंत	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
	, 13		(i) जो (ii) जो जिन लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रतिनि पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
	गीय प्रोन्नति समि	ति जिसमें निम्नलिखि	(i) जो (ii) जो जिन लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रतिनि पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर गेषक प्रवर्ग के ऐसे ि नेयुक्ति पर नियुक्ति वे नियुक्त व्यक्ति ग्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रति होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
।. इकाई का ज्यं	गीय प्रोन्नित समि भेष्ठतम निदेशक		(i) जो (ii) जो जिन लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काङ अधिक नहीं	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
1. इकाई का ज्ये 2. रोजगार और	गीय प्रोन्नित समि। रेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश	ग़ालय के किसी कार्याल	(i) जो (ii) जो जिन् तिर्मण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं ति होंगें : —अध्यक्ष नय —सदस्य	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स् 	गीय प्रोन्नित समि। पेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश वंबधी मामलों से स		(i) जो (ii) जो जिन् तिर्मण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं ति होंगें : —अध्यक्ष नय —सदस्य	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंक्रि के पात्र नहीं होंगे। इसी ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किसी
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स् 'क' अधिका 	गीय प्रोन्नित समि। पेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश वंबंधी मामलों से स्	ग़ालय के किसी कार्याल विधित इकाई का एक र	(i) जो (ii) जो जिन् लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं त होंगें : —अध्यक्ष लय — सदस्य समूह	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंक्रि के पात्र नहीं होंगे। इसी ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किसी
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स् 'क' अधिका केन्द्रीय सरक् 	गीय प्रोन्नित समि पेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स री तर के किसी अन्य	ग़ालय के किसी कार्याल	(i) जो (ii) जो जिन् लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं त होंगें : —अध्यक्ष लय — सदस्य समूह	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंक्रि के पात्र नहीं होंगे। इसी ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किसी
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स् 'क' अधिका 	गीय प्रोन्नित समि पेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स री तर के किसी अन्य	ग़ालय के किसी कार्याल विधित इकाई का एक र	(i) जो (ii) जो जिन् लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं त होंगें : —अध्यक्ष लय —सदस्य समूह	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स् 'क' अधिका केन्द्रीय सरक् 	गीय प्रोन्नित समि। रेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स री गर के किसी अन्य री	ग़ालय के किसी कार्याल बंधित इकाई का एक र कार्यालय से एक समूह	(i) जो (ii) जो जिन् लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं त होंगें : —अध्यक्ष लय —सदस्य समूह	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नि मेयुक्त व्यक्ति प्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ग होंगी)।	सदृश पद धारण किए किए किए पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेकर/छात्रावास/क्रय संवेषाणीय अधिकारी, जो कि तिए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए किसके अंति अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स्	गीय प्रोन्नित समि। पेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स री गर के किसी अन्य री	ग़ालय के किसी कार्याल बंधित इकाई का एक र कार्यालय से एक समूह 3	(i) जो (ii) जो जिन् तिरुपण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं ति होंगें: —अध्यक्ष सम्रह —सदस्य सम्रह	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नियुक्ति ये नियुक्त व्यक्ति ग्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ति होंगी)।	सदृश पद धारण किए कि या समतुल्य पद ध च वर्ष नियमित सेवा की टेकर/छात्रावास/क्रय संवे वेभागीय अधिकारी, जो कि लिए जिने ति द्वारा नियुक्ति के लिए को अविध जिसके अंत भाग में इस नियुक्ति से टेनेयुक्ति की अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस् ए विचार किए जाने वे गित केन्द्रीय सरकार वे गिक पहले धारित किसी
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स 'क' अधिका केन्द्रीय सरक 'क' अधिका 1 सहायक 	गीय प्रोन्नित समि। रेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स् री गर के किसी अन्य री 2	ग़ालय के किसी कार्याल विधित इकाई का एक र कार्यालय से एक समूह 3 साधारण केन्द्रीय	(i) जो (ii) जो जिन् लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काङ अधिक नहीं त होंगें : —अध्यक्ष —सदस्य समूह —सदस्य 4 5000~150~	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रां/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नियुक्त व्यक्ति प्रोंन्त नियुक्त व्यक्ति प्रोन्त ग्रेगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ति होंगी)।	सदृश पद धारण किए कि या समतुल्य पद ध च वर्ष नियमित सेवा के टेक्-/छात्रावास/क्रय संवेषागीय अधिकारी, जो के लिए विचार किए जाने ति द्वारा नियुक्ति के लिए को अवधि जिसके अंत भाग में इस नियुक्ति से टेनेयुक्ति की अवधि है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस् ए विचार किए जाने वे गित केन्द्रीय सरकार वे गिक पहले धारित किसी
 इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स	गीय प्रोन्नित समि। पेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स री गर के किसी अन्य री 2 12* (2005)	ग़ालय के किसी कार्याल विधित इकाई का एक र कार्यालय से एक समूह 3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	(i) जो (ii) जो जिन् तिरुपण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काडर अधिक नहीं ति होंगें: —अध्यक्ष सम्रह —सदस्य सम्रह	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नियुक्ति ये नियुक्त व्यक्ति ग्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ति होंगी)।	सदृश पद धारण किए कि या समतुल्य पद ध च वर्ष नियमित सेवा की टेकर/छात्रावास/क्रय संवे वेभागीय अधिकारी, जो कि लिए जिने ति द्वारा नियुक्ति के लिए को अविध जिसके अंत भाग में इस नियुक्ति से टेनेयुक्ति की अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस् ए विचार किए जाने वे गित केन्द्रीय सरकार वे गिक पहले धारित किसी
इकाई का ज्ये रोजगार और के स्थापना स् 'क' अधिका केन्द्रीय सरक् 'क' अधिका 1 सहायक	गीय प्रोन्नित समि। रेष्ठतम निदेशक प्रशिक्षण महानिदेश गंबंधी मामलों से स् री गर के किसी अन्य री 2	ग़ालय के किसी कार्याल विधित इकाई का एक र कार्यालय से एक समूह 3 साधारण केन्द्रीय	(i) जो (ii) जो जिन् लेख टिप्पण: प में है, प्रतिनि प्रकार प्रति। पात्र नहीं ह उसी या कि अन्य काङ अधिक नहीं त होंगें : —अध्यक्ष —सदस्य समूह —सदस्य 4 5000~150~	कार के ऐसे अधिका नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिव होंने उस श्रेणी में पां ग्रा/लेखापरीक्षा/केयर ग्रेषक प्रवर्ग के ऐसे नियुक्ति ये नियुक्त व्यक्ति ग्रोन्न गेंगे। (प्रतिनियुक्ति सी अन्य संगठन/विष् र बाह्य पद पर प्रतिर्ति होंगी)।	सदृश पद धारण किए कि या समतुल्य पद ध च वर्ष नियमित सेवा की टेकर/छात्रावास/क्रय संवे वेभागीय अधिकारी, जो कि लिए जिने ति द्वारा नियुक्ति के लिए को अविध जिसके अंत भाग में इस नियुक्ति से टेनेयुक्ति की अविध है स	तरण किए हुए हैं और हो और जिनके पास मंधी पद का अनुभव हो प्रोन्नति की सीधी पंकिर के पात्र नहीं होंगे। इस्र ए विचार किए जाने के गित केन्द्रीय सरकार के गिक पहले धारित किस्री

3434 L&E/05-2

•	dent as the				E parager at the	
			•			
•		•			•	
		i	, 6			•
						
	2					
इ	काईवार विभाजन					
-	दराबाद-02	ļ		•		•
₹	रुधियाना−01					
र्मु	विर्व-03					
ন	गनपुर− 02	ļ				
÷	रेन्नई-03					
ু ৰ	होलकाता−02					
- বু	हुल - 12					
<u>`</u>					<u> </u>	
7	8			9	10 .	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होत	-	लागू नह			
cut let eigt	रागु नहां हार		लागू गर्	1 6101	लागू नहीं होता	
11		·	TOTAL - 1 100 TOTAL - 1			
				12		
प्रान्नति द्वारा जिस	के न हो सकने पर प्रतिनियुवि	त द्वारा।		बाकाएआंतरिक परीक्षक/वे		
•			छात्रावास अधीक्षक	'जिसने ऊपर उल्लिखित '	ादों में से किसी एक या आं	धक
			पदों पर तीन वर्ष नि	ायमित सेवा की हो।		
			प्रतिनियुक्ति :		•	
		İ	केन्द्रीय सरकार के	ऐसे अधिकारी—		
	•			त आधार पर संदृश पद धा	गा किए हार हैं। या	
					९५ तम् । ति वाले लेखाकार या समतु	
					और जिनके पास प्रशासन/	
				ा संबंधी विषयों का अनुभ		
					कारी, जो प्रोन्नति की सीधी	
			म ह, प्रातानयुक्ति प	ार नियुक्ति के लिए विचार	किए जाने के पात्र नहीं होंगे	। इस
•			प्रकार प्रतिनियुक्त	व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुद्धि	त के लिए विचार किए जा	ाने वे
		ļ	पात्र नहीं होंगे। (प्र	तिनियुक्ति की अवधि जि	संके अंतर्गत केन्द्रीय सरक	ार वे
		· • .	उसी या किसी अन	¹ संगठन/विभाग में इस नि	युक्ति से ठीक पहले धारित ।	किर्स
,		!	अन्य काडर बाह्य	पद पर प्रतिनियुक्ति की अ	विध है साधारणतया तीन व	ार्ष सं
•	· , i ·	į	अधिक नहीं होगी)	ì		
						<u> </u>
	13			14 .		
समूह 'ग' विभाग	थि प्रोन्नित समिति जिसमें	निम्नलिखित होंगे :		लागू नहीं होता।		
1. इकाई का ज्ये	ष्ठितम निदेशक		—अध्यक्ष	•		
 रोजगार और 	प्रशिक्षण महानिदेशालय के वि	केसी कार्यालय	—सदस्य	•		
के स्थापना सं	विधी मामलों से संबंधित इक	ाई का एकं समृह	-		•	
'क' अधिकार	री		•		•	
3. केन्द्रीय सरका	ार के किसी अन्य कार्यालय सं	रे एक समृह	—सदस्य		•	,
'क' अधिकार	û .		••			
						
1	2	3	4	5	6	
5. कनिष्ठ	08* (2005)	साधारण केन्द्रीय	5000-150	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
हिंदी अनुवादक	" कार्यभार के आधार	सेवा समूह 'ग'	8000 रुपए	and the dear	20.7.461 61/11	•
	पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित	4 14			
	जा सकता है।	अनुसंचिवीय	•		•	
	<u> </u>	<u> </u>				

	2				
	इकाईवार विभाजन			,	
	हैदराबाद - 02	•			
	लुधियाना - 02				
	मुंबई - 0 1	•		•	
	कानपुर - 01				
•	कोलकावा - 02		••		
	•				
	कुल - 08				
	<u>_</u>				
	7	8	·	9	10
21 से 30 वर्ष।		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से		लागू नहीं होता	दो वर्ष
	द्वारा जारी किए गए अनुदेशे				
	रुसार सरकारी सेवकों के लि		में या परीक्षा के	•	•
	वर्षतक की जा सकती है				
		तए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	हिंदी/अंग्रेजी से		
	भारत में अर्ध्यर्थियों से आवेत				•
एत करने के लिए	ए नियत की गई अंतिम तारीर				
ोगी (न कि वह	ह अंतिम तारीख जो असम	, में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्य	म के रूप में और		
	वल प्रदेश, मिजोरम, मणिपु			•	
	सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्			•	
	माचल प्रदेश के लाहौल औ			•	
					.•
			त्पाधि या होनों में		
पीति जिले तथा न	चम्बा जिले के पांगी उपखंड	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ			
मीति जिले तथा न दिमान और निव	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ ति से कोई एक परीक्षा का माध्यम और	दूसरा अनिवार्य/		
मीति जिले तथा न गंदमान और निव गभ्यर्थियों के लिए	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।)	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स्	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से		
यीति जिले तथा न मंदमान और निव मध्यथियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गई है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम		
मीति जिले तथा न मंदमान और निव मध्यर्थियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा ताने वाली नियुवि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की हत की दशा में, आयु-सीमा	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/		
मीति जिले तथा न मंदमान और निय मध्यर्थियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा गाने वाली नियुवि मवधारित करने के	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे ए विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की ात की दशा में, आयु–सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत		
मीति जिले तथा न मंदमान और निव मध्यर्थियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि मवधारित करने के गंतिम तारीख होगी	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की त की दशा में, आयु-सीमा त लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी		
मीति जिले तथा न दंदमान और निव् प्रथ्यियों के लिए टप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि ग्वथारित करने के गंतिम तारीख होगी	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे ए विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की ात की दशा में, आयु–सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी		,
मीति जिले तथा न मंदमान और निव प्रथ्मियों के लिए टप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि मवधारित करने के गंतिम तारीख होगी गाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की त की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी	14	,
मीति जिले तथा न मंदमान और निक् मध्यियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा ताने वाली नियुवि सवधारित करने के नंतिम तारीख होगी वे नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी का अनुभव।	14	्र , निस्तेसः।
मीति जिले तथा न मंदमान और निव मध्यर्थियों के लिए टप्पण 2: रोजगा गाने वाली नियुवि मवधारित करने के गितम तारीख होगी । नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की त की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसने सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी का अनुभव।		हीं होता।
पीति जिले तथा न दमान और निव अपर्थियों के लिए उप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि गवधारित करने के विम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नति समिति जि	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी का अनुभव।		हीं होता।
पीति जिले तथा न ंदमान और निव श्यिथियों के लिए प्रपण 2: रोजगा ाने वाली नियुवि विधारित करने के विम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नति समिति जि होंगे:—	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित	स्तागू न	र्ही होता।
नीति जिले तथा न दमान और निव श्यिथियों के लिए प्रमण 2: रोजगा ाने वाली नियुवि वधारित करने के तिम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:—	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से मुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जित तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित	लागू न -अध्यक्ष	हीं होता।
पीति जिले तथा न ंदमान और निव श्यिथियों के लिए प्रपण 2: रोजगा ाने वाली नियुवि विधारित करने के विम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नति समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से नुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जी तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित	स्तागू न	र्ही होता।
पीति जिले तथा न दमान और निव अपर्थियों के लिए उप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि गवधारित करने के विम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नति समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की व	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से निवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जी तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शक — हानिदेशालय स्थापना संबंधी	लागू न -अध्यक्ष	हीं होता।
पीति जिले तथा न ंदमान और निव श्यिथियों के लिए प्रपण 2: रोजगा ाने वाली नियुवि विधारित करने के विम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की य मामलों से संबंधित इका	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से निवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जी तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शक — हानिदेशालय स्थापना संबंधी	लागू न -अध्यक्ष	र्ही होता।
मीति जिले तथा न दमान और निव अपर्थियों के लिए उप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि गवधारित करने के गिम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की य मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से ानुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत ाजी तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शक – हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह	लागू न —अध्यक्ष —सदस्य	हीं होता।
पीति जिले तथा न दमान और निव अपर्थियों के लिए उप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि गवधारित करने के विम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की य मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी 3. केन्द्रीय सरकार के किसी	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से नुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जि तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित रशक – हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह	लागू न -अध्यक्ष	र्ही होता।
मीति जिले तथा न दमान और निव अपर्थियों के लिए उप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि गवधारित करने के गिम तारीख होगी नाम भेजने के वि	चम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप हे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है।	, "हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की य मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से नुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जि तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित रशक – हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह	लागू न —अध्यक्ष —सदस्य	र्ही होता।
मीति जिले तथा न मंदमान और निः मध्यर्थियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा गाने वाली नियुवि मवधारित करने के गितम तारीख होगी । नाम भेजने के नि (11	वम्बा जिले के पांगी उपखंड कोबार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लिए कहा गया है। 12 लागू नहीं होता	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की स्मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी 3. केन्द्रीय सरकार के किसी से एक समूंह ''क'' आ	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से नुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जि तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित रशक – हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह	लागू न -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	
मीति जिले तथा न मंदमान और निर्माभ्यर्थियों के लिए टप्पण 2: रोजगा गने वाली नियुवि विभारत करने के तिम तारीख होगी । नाम भेजने के जि (11 '	चम्बा जिले के पांगी उपखंड को बार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है। 12 लागू नहीं होता	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्टतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की स्मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी 3. केन्द्रीय सरकार के किसी से एक समूंह ''क'' आं	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से निवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जि तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शक्त — हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह अन्य कार्यालय	लागू न -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	6
पीति जिले तथा न दमान और निः श्यिथियों के लिए टप्पण 2: रोजगा तोने वाली नियुवि विभारित करने के तिम तारीख होगी नाम भेजने के वि (11 भिष्ठी द्वारा।	वम्बा जिले के पांगी उपखंड को बार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है। 12 लागू नहीं होता	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की स्मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी 3. केन्द्रीय सरकार के किसी से एक समूह ''क'' आं	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से निवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जि तथा अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शक्त — हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह अन्य कार्यालय	लागू न -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	
मीति जिले तथा न दमान और निः अपर्थियों के लिए टप्पण 2: रोजगा तोने वाली नियुवि विभागित करने के तिम तारीख होगी नाम भेजने के वि (11 ोधी भर्ती द्वारा।	चम्बा जिले के पांगी उपखंड को बार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है। 12 लागू नहीं होता	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की स्मानलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी 3. केन्द्रीय सरकार के किसी से एक समूंह ''क'' आं 3 4 साधारण केन्द्रीय 3050-75-3 सेवा समूह 'ग' 4590 रुपए	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से नुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जिति या अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शिक — हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह अन्य कार्यालय धेकारी	लागू न -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	6
मीति जिले तथा न मंदमान और निः मध्यर्थियों के लिए टेप्पण 2: रोजगा गाने वाली नियुवि मवधारित करने के गितम तारीख होगी । नाम भेजने के नि (11	वम्बा जिले के पांगी उपखंड को बार द्वीप या लक्षद्वीप वे र विहित की गईं है।) ार कार्यालयों के माध्यम से की का की दशा में, आयु-सीमा ह लिए निर्णायक तारीख वह ो जिस पर रोजगार कार्यालयों लेए कहा गया है। 12 लागू नहीं होता	, " हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उ से कोई एक परीक्षा का माध्यम और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो स अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अ का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसवे सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रे से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष 13 पुष्टि के संबंध में विचार के विभागीय प्रोन्नित समिति जि होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदे 2. रोजगार और प्रशिक्षण म के किसी कार्यालय की स्मामलों से संबंधित इका ''क'' अधिकारी 3. केन्द्रीय सरकार के किसी से एक समूह ''क'' आं	दूसरा अनिवार्य/ नाथ ही हिंदी से नुवाद पाठ्यक्रम पत्र या केन्द्रीय/ के अंतर्गत भारत जिति या अंग्रेजी का अनुभव। लिए समूह ''ग'' समें निम्नलिखित शिक — हानिदेशालय स्थापना संबंधी ई का एक समूह अन्य कार्यालय धेकारी	लागू न -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	6

		<u> </u>			
	2				
,	इकाईवार विभाजन				
•	हैंदराबाद - 02	•			
	कोलकाता - 01				
	बंगलौर - 01		•		
	देहरादून - 01				
	मुंबई - 01				
		1.			
	कुल - 06		*		·
			•		
7		8		9	10
18 से 27 वर्ष ।	· 1. 	् सी मान्यताप्राप्त बोर्ड	या विश्वविद्यालय से	आयु : नहीं	दो वर्ष
(केन्द्रीय सरकार द्वारा		कुलेशन या इसके स		अर्हता : हाँ	
	सरकारी सेवकों के लिए 2. गेस	टेटनर/फोटोकापी मह	गीन चलाने का अनुभव ।	-16/11 . 61	
शिथिल करके 35 वर्ष	की जा सकती है।)		,		
	मा अवधारित करने के लिए				
	में अभ्यर्थियों से आवेदन				
	यत की गई अंतिम तारीख				
	तिम तारीख जो असम,				
	प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	1	•	·	
	क्कम, जम्मू-कश्मीर राज्य	į			
के लहाख खंड, हिमा	चल प्रदेश के लाहौल और	1	•		
	ा जिले के पांगी उपखंड,		•		
अंदमान और निको	बार द्वीप या लक्षद्वीप के				
अभ्यर्थियों के लिए		ļ			
	कार्यालयों के माध्यम से	j +			
	त की दशा में, आयु-सीमा				
अवधारित करने के ति	तए निर्णायक तारीख वह	! [
अंतिम तारीख होगी वि	तस पर रोजगार कार्यालयों	 			•
से नाम भेजने के लिए			<i>†</i>		
	1911	. ,			
		, .	·		
	12	40.3.4	13	······	14
प्रोन्नति द्वारा जिसके	प्रोन्नित : 2750-4000 रु. के वेत	निमान में ऐसे समूह	समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्न	ाति समिति लागू	नहीं होता।
नियुक्ति द्वारा।	"'घ" कर्मचारी , जिन्होंने इकाई र	ने उस श्रणी में तीन	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	- .	
। गुनु। पत्र द्वारा ।	वर्ष नियमित सेवा की हो जिस	के नहीं संकर्नपर	1. इकाई का ज्येष्ठतम	—अध्यक्ष	
	2610-3540 रु. के वेतनमान में	समूह 'घ' के ऐसे	निदेशक		
	कर्मचारी जिन्होंने इकाई में उस	श्रेणी में छह वर्ष	2. रोजगार और प्रशिक्षण	सदस्य	
	नियमित सेवा की हो और दोनों		महानिदेशालय के किर	मी	
	2550-3200 रु. के वेतनमान में	्रसंसमूह 'घ'	कार्यालय की स्थापना		
	कर्मचारियों में से जिन्होंने उस इक	गइ में उस श्रेणी में	संबंधी मामलों से		
	आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।		संबंधित इकाई का एव		
	प्रतिविद्यतिन । केन्द्रीय सम्बन्ध	- 1-1	समूह ''क'' अधिका	रा	,
	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के	एस आधकारा:—	- 3-0	•	
	(क) जी नियमित आधार पर सद् हुए हैं : या	र। ५५ धारण किए	3. केन्द्रीय सरकार के कि		•
	846! AI		अन्य कार्यालय से एक	•	

12 (ख) (i) जो 2750—4400 रु. के वेतनमान में तीन समूह ''क'' अधिकारी वर्ष से नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं या 2610-3540 रु. के वेतनमान में छह वर्ष से नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं या जो 2550-3200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में आठ वर्ष से नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, और (ii) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक अईताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) 1 2 3 7. भेषजज्ञ/ 12* (2005) साधारण केन्द्रीय लागू नहीं होता . लागू नहीं होता 4500-125-कंपाउन्डर *कार्यभार के आधार सेवा, समूह 'ग', 7000 रुपए पर परिवर्तन किया अराजपत्रित जा सकता है। अननुसचिवीय इकाईवार विभाजन हैदराबाद - 02 लुधियाना **-**∙01 मुंबई - 01 कानपुर - 01 चेन्नर्ड - 03 कोलकाता - 03 बैंगलीर - 01 कुल - 12 (10) (7). (8) (9) लागू नहीं होता दो वर्ष ा. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; 21 से 27 वर्ष। 2. बी. फार्मा या रसायन विज्ञान विषय के साथ (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए बी एस सी अथंवा अईता प्राप्त और रजिस्ट्री-शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) कृत कंपाउन्डर (भेषजज्ञ) 3. किसी मेडिकल स्टोर/औषधालय/अस्पताल में टिप्पण: 1. आयु-सीमा अवधारित करने के दो वर्ष का भेषजी में अनुभव। लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और

7				
निको बार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण: 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।				
	12	13 4	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखित होंगेः	लागू नहीं होता।	
		1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक	, अध्यक्ष	
•		2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समृह ''क'' अधिकारी	—सदस्य ,	
		3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह''क'' अधिकारी	— सदस्य	

[फा. सं. डीजीईटी-ए-12018/2/99-टीए II] एम.एस. आजाद, अवर संचिष

(Directorate General of Employment and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2005

- G.S.R. 405.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training Group'C' Non-Technical posts Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk/Typist, Upper Divison Clerk/Cashier/Assistant Hostel Superintendent/Accountant/Internal Auditor/Hostel Superintendent/Care Taker/Purchase Assistant, Junior Hindi Translator, Assistant, Gesterner Operator and Pharmacist (Group'C'Non-Technical posts) in the Directorate General of Employment and Training under the Ministry of Labour and Employment namely:—
- 1. (1) Short Title and Commencement and Application.—These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training Group 'C' Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. These rules shall be applicable on unit-wise in respect of the following units— (i) Chennai Unit comprising Advanced Training Institute, Chennai; Central Training Institute, Chennai; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chennai and Model Industrial Training Institute, Calicut; (ii) Hyderabad Unit comprising Advanced Training Institute for Electronic and Process Instrumentation, Hyderabad; (iii) Bangalore Unit comprising Foreman Training Institute, Bangalore and Apex-Hi-Tech Institute, Bangalore; (iv) Mumbai Unit comprising Advanced Training Institute, Mumbai and Regional Directorate of Apprenticeship Training, Mumbai; (v) Ludhiana Unit comprising Advanced Training Institute, Ludhiana; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad and Model Industrial Training Institute, Haldwani; (vi) Kanpur Unit comprising Advanced Training Institute, Kanpur; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kanpur and Model

Industrial Training Institute, Jodhpur; (vii) Dehradun Unit comprising Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; (viii) Jamshedpur Unit comprising Foremen Training Institute, Jamshedpur; and (ix) Kolkata Unit comprising Advanced Training Institute, Hawrah; Central Staff Training and Research Institute, Kolkata; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kolkata and Model Industrial Training Institute, Chowdwar (Orissa).

- 2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of post, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in their columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - . 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection post
1	/ 2	3	4 .	5
1. Lower Division Clerk/Typist	126*(2005) *Subject to variation depending on work-load) Unit-wise Break-up Hyderabad -17 Ludhiana -15 Mumbai -16 Kanpur -17 Chennai -23 Kolkata -28 Bangalore -06 Jamshedpur -02 Dehradun -02 Total -126	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75- 3950-80- 4590	Non- selection
Whether benefit of of service admissibl 30 of the Central Civ (Pension) Rules, 19	e under Rule ril Services	Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits
6		7		8
Not applicable		18 to 27 years (relax for Government ser upto 35 years in accor	vants	 Matriculation or its equivalent qualification from a recognized Board or University.

•		
	7 ,	8
	with the instructions issue by the Central Government Note: The crucial date for determithe age limit shall be as fixe the Staff Selection Commission.	minute in Bnglish or 25 words per minute in Hindi. ining ed by
Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recuits will apply in promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment; Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
9	10	11
Age - No Qualification-Yes to the extend mentioned in column 11.	Two years	(a) 90% by direct recuitment through Staff Selection Commission. (b) 5% by promotion from amongst the Group D employees who possess matriculation or equivalent qualifications and fulfil requirement as provided in column 12 on the basis of a departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years for Schedule Caste/Schedule Tribe).
	4	Note: (i) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (ii) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (b) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualified at a later examination.
	•	(c) 5% of the vacancies shall be filled on Seniority-cum-fitness basis from Group D employees who possess matriculation or equivalent qualification and who fulfil the requirement as prescribed in column 12.
Promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/ deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commi sion is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Group 'D' employees in the pay	Group 'C' Departmental Promotion Committee consist Senior most Director in the	Not-applicable ing of:

. 12		13				
years regular service	in the grade	Unit-Chairman.				
in the Unit failing which from Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2610-3540 with six years regular service in the grade in the Unit failing both from Group		2. Group 'A' Officer from any office of the				
		Directorate General of I				
		Training in the Unit deal				
		ment matters— Member				
		3. Group 'A' Officer of a		·		
'D' employees in the		Government Office—Me		1.		
Rs. 2550-3200 with ei						
regular service in the		. '			*	
			•	•		
1 .	1 2	3 .	. 4	5		
2. Upper Division	94* (2005)	General Central	Rs. 4000-100-	Non-selecti	on	
Clerk/Cashier/	Unit-wise	Service, Group 'C'	6000	11031 553544		
Assistant Hostel	break-up	Non-Gazetted,	0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
Superintendent	*Subject to	Ministerial.			,	
-	, -	Ministerial.				
(these posts are	variation.				•	
inter-changeable)	depending on		•	,		
	workload.					
	Hyderabad -15					
	Ludhiana -13	•				
	Mumbai -12	•			•	
	Kanpur -11	. •		·	•	
•	Chennai -13			•		
	Kolkata -20					
	Bangalore -06			• • ,	•	
	Jamshedpur -01	,				
•	Dehradun -3			•		
	Total -94			<u> </u>	·	
	•	<u> </u>				
6	·	7		8		
Not applicable		Not applicable	No	t applicable	:	
						
9		10 .		11 .		
Not applicable		Not applicable	100% by pro deputation/s	motion failing which absorption.	ı by ´ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12		13		14		
Promotion:		Group 'C' Departmental	<u></u>	Not applicable		
Lower Division Clerk/	Typist with	Promotion Committee co	onsisting of:			
eight years regular ser		Senior-most Director i				
	. TIOU III CIIU	Unit—Chairman.		••		
grade.		2. Group 'A' Officer from	n any office of the	•		
Deputation:	C	Directorate General of En			•	
Offices of the Central	•	Directorate Central of Ell	ng with satablish.			
(i) holding analogous	s post on	Training in the Unit deali	IIR MIIII CAISINIISH.	·		
regular basis;		ment matters—Member				
CR	•	3. Group 'A' Officer of an		• •		
(ii) holding the post of	of Lower	. Government Office—Mer	mber.			
Division Clerk with ei				•		
regular service in the		•				
	25-4		, 			
3434 LAE	10-4					

12					······································	
Note:				 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
The departmental office	care in the		,			
feeder category who a						
direct line of promotio				•	•	
not be eligible for con-				•	, '	
appointment on deputa					·	
demytetionists shall me	auon. Similariy					
deputationists shall no	or de engible for					
consideration for appoint						
motion. (Period of dep						
the period of deputation	on in another ex-	•				
cadre post held immed	nately preceding	g this				•
appointment in the sar						
organization/departme	ent of the Centra	i .	i .			
Government shall ordin	namy exceed	•	-			
three years)!			<u> </u>	•	•	
<u>l</u> .	2,		3	4	5	6
3. Accountant/	/28*	Cons	10-4-1			
Internal Auditor/Care	(2005)		ral Central	Rs. 4500-125-7000	Non-selecti	on Not applicat
Taker/Hostel	Unit-wise		ce Group 'C'	•		
Superintendent/	break-up		Gazetted,			
Purchase Assistant	*Subject to	IVIIII	sterial.			
(these posts are	variation depe	Ai		•		
inter-changeable)	on workload.	патив				•
and dimingonolo)	Ludhiana	-02				•
	Hyderabad	-02 -06	•		•	
	Mumbai	-06 -02				•
,	Kanpur	-02 -03				
	Chennai	-05				
	Kolkata	-05				•
	Bangalore	-03	\			
	Dehradun	-02				
	Total	- 28		,	•	
						
7	8		0			
			9	10	11	•
Not applicable		<u> </u>				
Not applicable	Not applicat	ble	Not applicable	Not applicable	100% by pro	motion failing whi
				-	by deputation	on/absorption.
12			1:	3	·	14
Promotion:		G				14
Upper Division Clerk/C	ashier/Assistan	t co	oup 'C' Department nsisting of :	at Promotion Comm	ittee No	applicable
Hostel Superintendent	with five years	1.	Senior-most Director	r in the I Init	Chairman,	
regular service in any o	ne or more of	2.	Group 'A' Officer from	om any office of	chanman,	•
he above mentioned po Deputation:	osts :	İ	the Directorate Gene	tal of Employment	•	
Officers of the Central (-mant		and I raining in the I	Init dealing with		
i) holding analogous p	OSt on regular	3	establishment matter	· [5	Member	. •
oasis Same	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J.	Group 'A' Officer of Government Office			•
OR	•	1	· · ·]	Member.	
ii) holding the post of	Upper Division					
lerk or equivalent with	five years regular	•				
		1			_	

service in the grade and possessing experience in Accounts/Audit/Caretaker/Hostel/Purchase, relevant to the post.

Note:

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years).

of promotion shall not be eligible for

4. Assistant 12* General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial Unit-wise break-up Hyderabad -02 Ludhiana -01 Mumbai -03. Kanpur -02 Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 7 8 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial Unit-wise break-up Hyderabad -03. Kanpur -02 Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 7 8 9 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable Service of Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial Unit-wise break-up Hyderabad -03. Kanpur -04. Chennai -05. Kanpur -05. Chennai -05. Kolkata -05. Total -12 7 8 9 9 10 11 Not applicable Service of Service Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of : 12 13 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/Outchase Assistant/Hostel. Superinten-left with three years regular service in my one or more of the above mentioned posts : 12 13 14 Promotion: 4 Croup 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of : 1 Senior most Director in the Unit —Chairman. 2 Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with	1	2		3	4		5	6
(2005) *Subject to variation dependend on workload Unit-wise break-up Hyderabad - 02 Ludhiana - 01 Mumbai - 03. Kanpur - 02 Chennai - 02 Kolkata - 02 Total -12 Total -12 Total -12 Total -12 Total -15 Not applicable Not applic	4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	.41						·
variation dependend on workload Unit-wise break-up Hyderabad -02 Ludhiana -01 Mumbai -03. Kanpur -02 Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 7 8 9 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12 13 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/varchase Assistant/Hostel. Superintenent with three years regular service in you one or more of the above mentioned posts: Deputation: OR With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	4. Assistant	,			Rs. 5,000-13	60-8,000	Non-Select	
on workload Unit-wise break-up Hyderabad -02 Ludhiana -01 Mumbai -03. Kampur -02 Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 7 8 9 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12 13 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/Purchase Assistant/Hostel. Superintentent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the 'scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder								applicable
Unit-wise break-up Hyderabad - 02 Ludhiana - 01 Mumbai - 03 Kanpur - 02 Chennai - 02 Kolkata - 02 Total - 12 7 8 9 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12 13 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superinten- lent with three years regular service in the yose of the Central Government: i) holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the 'soal of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	•				•			•
Hyderabad Luddhiana -01 Mumbai -03 Kanpur -02 Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 Total -14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superinten- lent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: Total -12 To				sterial				
Ludhiana -01 Mumbai -03 Kanpur -02 Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 Total -								
Mumbai			_					
Kanpur Chennai -02 Kolkata -02 Total -12 To								
Chennai Kolkata Total Total 7 8 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Superintental Auditor/Care Taker/Purchase Assistant/Hostel. Superintentent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: Officer of the Central Government: i) holding analogous post on regular basiss: OR With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ casal/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder								
Total — 12 Total — 12 Total — 12 Total — 12 Total — 12 Total — 12 Total — 12 Total — 15 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12 — 13 — 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superinten- lent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: Difficers of the Central Government: Dih holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	•	•						
Total 7 8 9 10 11 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12 13 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superinten- lent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder		•						
Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12	• ,	Kolkata	-02	,	•		•	
Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12		Total	- 12		•			
Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing by deputation 12								
Promotion: 12 13 14 Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superinten- lent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: OR i) Holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Not applicable consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. Solution: With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental Promotion Committee Not applicable Consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. Solution: The departmental officers in the feeder	7	8	9	·	10		• 11	
Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Flostel. Superintendent with three years regular service in administration/ cash/accounts matters. Promotion: Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Senior most Director in the Unit — Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member. 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member. 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member. 4. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 5. Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member. 6. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 6. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 6. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 6. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 6. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member. 8. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member Directorate General of Employment and	Not applicable	Not applicable	Not applicat	ole	Not applicable	;		
Promotion: Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superintendent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters. Group 'C' Departmental Promotion Committee Not applicable consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directotate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member. 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. Societ: The departmental Promotion Committee Not applicable consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directotate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member. 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. Societ: The departmental Promotion Committee Not applicable consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member. 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. Societ in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superintendent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters. Consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member. 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. Government Office —Member. Consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member. Member. Consisting of: 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member. Member. Solution: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters.	12	•		13	3			14
Purchase Assistant/Hostel. Superinten- Ident with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: Officers of the Central Government: i) holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters. 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. 6. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 6. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member. 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 7. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate	Promotion :		Group 'C'	Departmenta	Promotion (Committee	. No	t applicable
lent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts: Deputation: Officers of the Central Government: i) holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Occupication: OR iii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: Croup 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member Occupication: Oroup 'A' Officer of another Central Government Office —Member Overnment Office —Member Overnment Office Accounts matters.	Accountant/Internal	Auditor/Care Taker/					* •	
Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters — Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	Purchase Assistant	Hostel. Superinten-	1. Senior me	ost Director in	the Unit	-Chairma	an.	
posts: Deputation :	dent with three year	rs regular service in	2. Group 'A	Officer from	any Office of	the		
Deputation: Deficers of the Central Government: i) holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters. Note: Establishment matters —Member Government Office —Member. Government Office For example of another Central —Member. Government Office The departmental officers in the feeder	any one or more of	the above mentioned	Directora	te General of	Employment		•	
Officers of the Central Government: i) holding analogous post on regular basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	posts :		and Train	ing in the Unit	dealing with			•
Officers of the Central Government: i) holding analogous post on regular Government Office —Member. basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	Deputation :		Establish	ment matters		-Membe	r .	
i) holding analogous post on regular Government Office —Member. basiss: OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder	Officers of the Cen	tral Government:	3. Group 'A	Officer of an	other Central			
OR ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note:	(i) holding analog		Governm	ent Office		—Membe	Г.	
ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder		• •						
post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder		ar econtor comico in the						
in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder				•				•
possessing experience in administration/ cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder								
cash/accounts matters. Note: The departmental officers in the feeder								
Note: The departmental officers in the feeder								•
The departmental officers in the feeder		maners.						
		ffiners in the feeder			•			
					•			

consideration for appointment by deputation.Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years).

1 .	2	3	4 .	5 .	· 6
5. Junior Hindi	08*	General Central	Rs. 5,000-150-8,000	Not applicable	Not applicable
Translator	(2005) *Subject to	Service Group 'C'	•		•
•	variation depending	Non-Gazetted,			
٠.	on workload	Ministerial			
	Unit-wise break-up			•	•
	Hyderabad - 0	2 .			
•	Ludhiana - 0	2			
	Mumbai - 0	1			
	Kanpur - 0	1			
	Kolkata 0				•
	Total -0	8	•		
. 7		8	. 9	. 10	11

21 to 30 years.

(Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).

2. In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment exchanges, the cruicial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Master degree of a recognised University in Hindi/English with Hindi as a compulsory/ elective subject or as a medium of examination at degree level.

OR. Master degree of a recognised University in any other subject than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as compulsory/ elective subject at degree level.

Bachelors degree a recognized University with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject, plus a recognized Diploma/ Certificate course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to Engish and vice-versa in Central/State Government Offices. including Government of India Undertakings.

Not applicable Two years

By direct recruitment

11

*Subject to variation de on workload Unit-wise by Hyderabad Kolkata Bangalore Dehradun Mumbai Total 7 8 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each ase, be the closing date for receipt of applications from candidates in india, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division	for considering confit 1. Senior-most Director 2. Group 'A' Officer of the Directorate Ger and Training in the Establishment matter 3. Group 'A' Officer of Government office 3 General Central Service Group 'C Non-Gazetted, Non-Ministerial oreak-up	from any office of neral of Employment Unit dealing with ers. —Men f another Central —Mem 4 Rs. 3050-75-3950- N 2 80-4590	irman mber
Operator Ob*(2005) *Subject to variation de on workload Unit-wise by Hyderabad Kolkata Bangalore Dehradun Mumbai Total 7 8 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 15 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deternining the age limit shall, in each ase, be the closing date for receipt of applications from candidates in india, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Cripura, Sikkim, Ladakh Division	General Central Service Group 'C epending Non-Gazetted, Non-Ministerial oreak-up -02 -01 -01	4 Rs. 3050-75-3950- N 2' 80-4590	5 6
Operator Ob*(2005) *Subject to variation de on workload Unit-wise by Hyderabad Kolkata Bangalore Dehradun Mumbai Total 7 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deternining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in india, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Fripura, Sikkim, Ladakh Division	General Central Service Group 'C epending Non-Gazetted, Non-Ministerial oreak-up -02 -01 -01	Rs. 3050-75-3950- N 2' 80-4590	
*Subject to variation de on workload Unit-wise by Hyderabad Kolkata Bangalore Dehradun Mumbai Total 7 18 to 27 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the firstructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deter-	Service Group 'C epending Non-Gazetted, d. Non-Ministerial ereak-up -02 -01 -01	2' 80-4590	
Hyderabad Kolkata Bangalore Dehradun Mumbai Total 7 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deter- mining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in india, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division	-02 -01 -01	· .	
7 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 15 years in accordance with the 15 years in accordance with the 16 years in accordance with the 17 years in accordance with the 18 years in accordance with the 18 years in accordance in 18 years in accordance in 18 years in 18 yea	-01		·
Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division	- 06		
Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in india, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division		•	
Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in india, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division	8	9 10	11
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep). 2. In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Emp-	equivalent qualifications from a recognized Board or University. 2. Experience in operating Gestetner/Photocopy Machine.	Qualification: years Yes	s failing which by deputation.

12 B 14 Promotion: Group 'C' Departmental Promotion Committee Not-applicable. Group 'D' employees in the pay scale consisting of: of Rs. 2750-4000 with three years 1. Senior most Director in the Unit -Chairman. regular Service in the grade in the 2. Group 'A' Officer from any office of Unit failing which from Group 'D' the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with employees in the pay Scale of Rs. 2610-3540 with six year's regular establishment matters -Member service in the grade in the Unit failing 3. Group 'A' Officer of another Central both from Group 'D' employees in the Government office -Member. payscale of Rs. 2550-3200 with eight years regular service in the grade in the unit. Deputation: Officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis: (b) (i) holding a post in the pay scale of Rs. 2750-4400/- on regular basis for three years or holding post in the pay scale of Rs. 2610-3540/- on regular basis for six years or holding a post in the pay scale of Rs. 2550-3200/- or equivalent on regular basis for eight years, and (ii) possessing educational qualifications as laid down for direct recruitment in column 8. (The period of deputation, including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/department shall ordinarily not exceed three years). 1 3 7. Pharmacist/ 12*(2005) General Central Rs. 4500-125-Not applicable Not applicable Compounder *Subject to Service Group 'C' 7000 variation depending Non-Gazetted, Non-Ministerial on workload Unit-wise break-up Hyderabad -02 Ludhiana -01 Mumbai -01 Kanpur -01 Chennai -03 Kolkata -03 Bangalore -01 Total - 12 7 8 21 to 27 years 1. Matriculation or Not applicable Two years By direct (Relaxable for Govt. Servants upto equivalent: recruitment. the age of 35 years in accordance 2. B Pharma or B. Sc. with with the instructions or orders Chemistry as a subject or issued by the Central Governqualified and registered ment). Compounder (Pharmacist). 3. Two years experience in

8

Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing dates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island, or Lakshdweep). 2. In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Pharmacy in a Medical Store/ Pharmacy in a Dispensary/ Hospital

14 13 12 Not applicable. Group 'C' Departmental Promotion Committee Not applicable for considering confirmation consisting of: 1. Senior-most Director in the Unit -Chairman. 2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with -Member establishment Matters 3. Group 'A' Officer of another Central -Member. Government office.

> [F. No. DGET-A-12018/2/99-T.A. II] M.S. AZAD, Under Secy.

RRS of Office Sufer.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 2395—2400

Dated 1-11-2003

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 386.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (वर्ग-III पद) भर्ती नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लीप किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय महिला उपजीविका, प्रशिक्षण को छोड़कर रोजागर और प्रशिक्षण महानिदेशालय में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय, महिला उपजीविका प्रशिक्षण को छोड़िकर रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह ''ख''गैर तकनीकी पद) भूती नियम, 2003 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहताएँ आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहताएँ और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति:—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी ठपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम
 पदों की संख्या
 28* (2003)
 कार्यालय अधीक्षक-21
 छात्रावास वार्डन-7 (दोनों पद परस्पर परिवर्तनीय हैं)
 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
 वर्गीकरण
 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय
 वेतनमान
 चयन
 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय
 चयन
 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
 तीस वर्ष से अधिक नहीं
 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शियल की जा सकती है।

....

- 7. सेवा में ओड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
- 8. सीथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

- 9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
- 10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
- ㄲ. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोक्तित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
- ं में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन

टिप्पण:--आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणालय प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लहाखं खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

नहीं

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।

(२) प्रशासन, रोकड़ और लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

20 प्रतिशत प्रोन्ति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा :;-प्रोन्निति : 5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

> टिप्पण :--जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज़्येड़ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष सें, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-

- (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किए हुए
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है; और जिनके पास प्रशासन रोकड़ और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिस के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार

٠.

के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिस के अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्तित समिति है, तो उसकी संरचना

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति और पुष्टि के लिए):

1, महानिदेशक,

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

-अध्यक्ष

2. निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण

-सदस्य

3. निदेशंक/उप सचिव (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय .

. –सदस्य

4. निदेशक/उप सचिव, (प्रशासन)

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं।

> [सं. ए-12018/4/2001-टी.ए. II(भाग)] के. के. मित्तल, निदेशक (प्रशासन)

(Directorate General of Employment and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2003

- G.S.R. 386.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Training (Class III Posts) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group B posts in the Directorate of Training (except Women Occupation Training), Directorate General of Employment and Training, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupation Training), Directorate General of Employment and Training (Group B, Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 2003.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
 - 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions

required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post

2. Number of posts

3. Classification

4. Scale of pay

5. Whether Selection or non-selection post

6. Age limit for direct recruits

.....

Office Superintendent/Hostel Warden

28* (2003)

Officer Superintendent: 21

Hostel Warden: 7 (both posts are interchangeable)

*Subject to variation dependent on workload.

General Central Service, Group 'B' non-gazetted, ministerial

Rs. 5500-175-9000

ap N= 4200/-

Selection

Not exceeding 30 years

Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

No

 Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972

Educational and other qualifications required for direct recruits

Pesential

(i) Degree of a recognized University or equivalent,

(ii) Two years experience in administration, cash and accounts work.

Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

 Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

10. Period of probation, if any

11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods

N

Two years

20 per cent.

Promotion failing which by deputation.

80 per cent deputation failing which by direct recruitment.

12. In case of recruitment by promotion/ which promotion/deputation/absorption to be made

Promotion: Assistant in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three deputation/absorption grades from years regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central or State Governments or Union territories:

- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre department; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and possessing two years experience in administration, cash and accounts matters.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation):

- 1. Director General of Employment and Training
- Chairman
- Director of Apprenticeship Training
- Member
- Member
- Director/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour

Director/Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment and Training

Member Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

> [F. No. A-12018/4/2001-TA-II(Pt.)] K.K. MITTAL, Director (Administration)